राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022 जयपुर, दिनांक:25अक्टूबर, 2024

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात राज्य के विधानसभा क्षेत्र 07–Vav के उप चुनाव हेतु दिनांक 13.11.2024 को मतदान करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग में प्रावधानानुसार **गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले से लगते हुए राजस्थान राज्य के सीमावर्ती जिले/जिलों की सीमाओं के 03 किमी. परिधीय क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात दिनांक 11.11.2024 से दिनांक 13.11.2024 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस दिनांक 23.11.2024 को तथा पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन सूखा दिवस घोषित** किया जाता है।

आज्ञा से,

sd/-
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनकी अशा.टीप क्रमांक प.8(1)(22)निर्वा./2024/10006 दिनांक 22.10.2024 के संदर्भ में।
2. अति. मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
5. संभागीय आयुक्त, ...।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रह तथा वितरण से संबंधित मद्यनिषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
7. जिला कलेक्टर, ...।
8. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, ...।
9. जिला आबकारी अधिकारी, ...।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः– गुजरात राज्य के विधानसभा उप चुनाव, 2024 – गुजरात राज्य से लगती हुई राज्य की सीमाओं में लिकर (शराब) की बिकी पर प्रतिबन्ध लगाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश है कि जहां मतदान हो रहा है उससे लगती हुई अन्य राज्य/राज्यों की सीमाओं में शराबबंदी करने हेतु कानूनी उपाय किये जाये।

इस संबंध में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात ने सूचित किया है कि उनके राज्य में 7–Vav विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव के लिए मतदान दिनांक 13.11.2024 को होगा एवं मतगणना दिनांक 23.11.2024 को होगी।

अतः **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग** के प्रावधानानुसार गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले से लगते हुए राजस्थान राज्य के सीमावर्ती जिले/जिलों की सीमाओं के 3 किमी. परिधीय क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात् दिनांक 11 नवम्बर, 2024 से दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस दिनांक 23.11.2024 को **"सूखा दिवस"** घोषित करावें। पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन भी **"सूखा दिवस"** घोषित करावें।

सुलभ संदर्भ हेतु कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात के पत्रांक No. ELC/102023/223/CHH(L&O) दिनांक 21.10.2024 एवं भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक No.576/14/2024/EPS दिनांक 16.10.2024 एवं पत्र दिनांक 20.01.2010 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

कृपया इस संबंध में आदेश जारी कराये जाकर एक प्रति इस विभाग को भी भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सुरेश चन्द्र)
विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

अ0शा0टीप संख्या एफ 8(1)(22)निर्वा./2024/ 10006
जयपुर, दिनांक :– 22.10.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।